संख्याः–563/XVIII(2)/2009–01(155)/08

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 18 मार्च, 2009

विषयः–**श्री सीमेन्ट लि0 राजस्थान को ग्राम अकबरपुर ऊद, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार में सीमेन्ट क्लिंकर ग्राइडिंग यूनिट उद्योग की स्थापना हेतु कुल 7.603 है0 भूमि क्रय की अनुमति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1081/भूमि व्यवस्था–भूमि क्रय/08–09 दिनांक–12.01.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय श्री सीमेन्ट लि0 राजस्थान को औद्योगिक प्रयोजन(**सीमेन्ट क्लिंकर ग्राइडिंग यूनिट**) हेतु **ग्राम अकबरपुर ऊद, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार में कुल 7.603 है0 भूमि** उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154(2) एवं उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओ–510, 511, 513, 514, 515म, 515म, 515म, 517, 519 एवं 521 के अनुसार क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैः–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन(सीमेन्ट क्लिंकर ग्राइडिंग यूनिट की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

.....2

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध करायेगी।

8– कम्पनी द्वारा क्रय अनुबन्धित खसरा संख्या–510, 511, 513, 514, 515म, 515म, 515म, 517, 519 व 521 कुल रकबा 7.603 है0 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की अधिसूचना 50/2003–के0उ0शुल्क दिनांक–10.06.2003 के संलग्नक–II में जिला हरिद्वार के अधीन Category-D Expansion of Existing Estates के अन्तर्गत क्रमांक–2 पर ग्राम–अकबरपुर ऊद तहसील लक्सर के सम्मुख स्तम्भ–3 में अधिसूचित है। इस अधिसूचित भूमि पर स्थापित होने वाले नये उद्योग (नकारात्मक सूची के क्रिया कलापों को छोडकर) को विशेष पैकेज का लाभ निर्धारित अर्हता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।

9– क्रय की जाने वाली भूमि का भू उपयोग यदि औद्यागिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर जी0आई0डी0सी0आर0–2005 में दिये गये नियमों/मानकों के अनुसार एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10– इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग सीमेन्ट क्लिंकर ग्राइडिंग यूनिट विनिर्माणक उद्योग की स्थापना हेतु किया जायेगा।

11– प्रश्नगत इकाई में पूंजी निवेश/निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अग्निशमन विभाग से नियमानुसार अनापत्ति/सहमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

12– प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व सम्बन्धित इकाई का होगा।

13– प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में स्पोट जोनिंग क्षेत्र के लिए निश्चित सिद्धान्त/नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

14– इकाई की स्थापना होने पर यदि पूंजी निवेश 50 करोड़ से कम पाया जाता है तो इकाई को केन्द्रीय औद्योगिक पैकेज का लाभ अनुमन्य नही होगा।

15– किसी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

.....3

16– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

17– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्रोधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगे।

18– योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/ संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियॉ/स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेगी।

19– इस स्वीकृति को विद्युत संयोजन के लिए स्वीकृति नहीं माना जायेगा। प्रस्तावित इकाई चूँकि एक उच्च विद्युत खपत इकाई है,अतः उर्जा विभाग अथवा उसके अधीन संबंधित संस्था की प्रकियानुसार विद्युत संयोजन के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

20– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0– 563 (1)/तद्दिनांक/2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश के उधोग विभाग से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
3– सचिव, श्रम एव सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, ऊर्जा विभाग उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
6– निदेशक, उद्योग, इन्ड्रस्ट्रियल इस्टेट, पटेलनगर, देहरादून।
7– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडा, 2–न्यूकैन्ट रोड़, सिडकुल, देहरादून।
8– श्री सीमेन्ट लि0, ग्राम अधेंरी देओरी, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर, राजस्थान।
9– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
10– प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।